न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 24 / 2022

वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. मीठालाल पुत्र चिरदाराम निवासी सोजत मिटी तहसील सोजत जिला पाली राज.।		1 कानाराम पुत्र चिरदाराम 2 चम्पालाल पुत्र हीरालाल 3 मदनलाल पुत्र हीरालाल 4 रतनलाल पुत्र हीरालाल 5 सुरेश पुत्र हीरालाल 6 तारा पुत्री हीरालाल पत्नी नारायराम 7 मैना पुत्री हीरालाल पत्नी नारायचन्द 8 लीला पुत्री हीरालाल पत्नी सम्पतराज 9 तमाम जातिगण माली निवासीगण सोजत तहसीलदार(भूमि–धारक) सोजत। मिटी जिला पाली राजस्थान ।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राज0काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति:–

1. **श्री रमेश टांक अधिवक्ता मय वादी उपस्थित।**
2. **श्री दिनेश चन्द्र पालरिया अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 उपस्थित।**

दिनांक – 11/09/2023

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध राजस्व वाद बाबत बटवारा एवं निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, एवं 188 आर0टी0एक्ट1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाडियान तहसील सोजत में खसरा नंबर 104, 105, 137, 138 कुल खसरा 04 कुल रकबा 2–9200 है0 की कृषि भूमि जिस कृषि भूमि के सेटलमेन्ट के पूर्व गत खसरा संख्या 61, 81 कुल रकबा 17बीधा 2 बिस्वा किस्म मेहन्दी स्थित है। वादी मीठालाल ने दिनांक 06/10/1978 को लुम्बाराम पुत्र चिरदाराम, लालाराम पुत्र चौथाराम जाति माली निवासी मालियों का बडा बास सोजत सिटी वालो से उनका हक हिस्सा जरिये बेचान हकूक खातेदारी सरहद मौजा बासनी तिलवाडिया तहसील सोजत में गत बन्दोबस्त के अनुसार खरारा संख्या 81 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा पौने बारह बीघा 3 बिस्वा व खसरा संख्या 61 रकबा 5 बिघा 4 बिस्वा पौने छः बीघा 4 बिस्वा कुल कृषि भूमि रकबा 17 बिघा 2 बिस्वा पौने अठारह बीघा 2 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम जिसके तरमीम बन्दोबस्त के खसरा संख्या 104 रकबा 0.5200 हैक्टर खसरा संख्या 105 रकबा 0.4500 हैक्टर खसरा संख्या 137 रकबा 1.0200 हैक्टर तथा खसरा संख्या 138 रकबा 0.9300 हैक्टर किस्म मेहन्दी कुल खसरा 4 कुल रकबा 2.9200 हैक्टर भूमि खरीद की उक्त कृषि भूमि में बेचानकर्ता लुम्बाराम का 1/4 हिस्सा तथा लालाराम का 1/4 हिस्सा हकूक खातेदारी का काश्त व कब्जासुदा था। उपरोक्त कृषि भूमि बेचानकर्ता व गिरधारी, हीरालाल, कानाराम पीसरान विरदा ने मुसम्मी किशोरसिंह पुत्र बक्तावरसिंह से जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 04/12/1963 को खरीद की थी, तभी से उपरोक्त कृषि भूमि पर बेचानकर्ता का कब्जा काश्त था। उक्त कृषि भूमि मौके पर बटी हुई होने से मौके पर कब्जा खारा बेचानकर्ता लुम्बाराम व लालाराम द्वारा वादी को मौके पर बलकर सुपुर्द कर दिया गया। गत खसरा संख्या 81 रकबा 11 बिघा 3 बिस्वा पौने बारह बीघा 3 बिस्वा का) हिस्सा जिसके पडौस पूर्व में रतन माली की मेहन्दी, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में इसी जमीन का 1/2 हिस्सा जो गिरधारी, हीरालाल व कानाराम पीसरान विरदा के कब्जे काश्त का है। दक्षिण में केसाराम माली की मेहन्दी का बाडिया। गत खसरा संख्या 61 रकबा 5 बिघा 4 बिस्वा पौने छः बीघा 4 बिस्वा का) हिस्सा के पडौस पूर्व मे नेमाराम व केसाराम माली की मेहन्दी का बाड़िया पश्चिम में रास्ता, उत्तर में चुन्नीलाल माली की मेहन्दी का बाड़िया, दक्षिण में इसी जमीन का 1/2

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

हिस्सा जो गिरधारी, हीरालाल व कानाराम पीसरान विरदा के कब्जे काश्त का उक्त कृषि भूमि में वादी मीठालाल का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 का 1/2 खातेदारी कब्जा काश्त का है। वादी का दिनांक 06/10/1978 से उक्त पडौस बीच स्थित कृषि भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त है। उक्त कृषि भूमि वादी व अन्य हिस्सेदारों के मध्य सन् 1978 के पूर्व से बटवाडा होने से सभी खातेदारान अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है, किन्तु राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद नहीं करवाया जा सका है जिससे राजस्व रेकर्ड में उक्त कृषि भूमि सामलाती दर्ज रह गई है। किन्तु सभी खातेदारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड सम्पूर्ण जमीन का नाप चौक किया जाकर आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व बटवाडा किया जा चुका है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अलग से काबिज काश्त है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य यह भूमि बंटी हुई है और वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी इस अलग बंटी हुई भूमि पर 45 वर्षों से भी अधिक समय से बिना किसी बाधा एवं व्यवधान के उपयोग उपभोग करते आये है जिससे वह अपनी इस भूमि के मालिक हो चुके है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटी हुई भूमि का नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' व परिशिष्ट 'ब' वादपत्र के साथ संलग्न है जो इस वादपत्र का भाग है। इसमें लाल रंग से वादी के अलग बंटे हुए हिस्से को दर्शाया गया है व पीले रंग से प्रतिवादीगण के हिस्से को दर्शाया गया है। प्रतिवादी संख्या 4 चम्पालाल द्वारा वादी के कब्जे काश्त में दखल करने और मौके पर धोरापाली को लेकर लडाई झगडा करते रहते है। जिससे यह दावा बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश है, विनायदावा वर्ष 2021 में फसल निदाण, काटने आदि मे झगड़ा होने से, तथा दिनांक 25 जनवरी 2022 को मौके पर बंटी हुई भूमि अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर देने से बमुकाम सोजत उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वाद अधिवक्ता मय वादी ने वाद – पत्र मय शपथ – पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत कर वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाडियान के खसरा संख्या 104 रकबा 0.5200 हैक्टर, खसरा संख्या 105 रकबा 0.4500 हैक्टर खसरा संख्या 137 रकबा 1.0200 हैक्टर तथा खसरा संख्या 138 रकबा 0.9300 हैक्टर किस्म मेहन्दी कुल खसरा 4 कुल रकबा 2.9200 हैक्टर भूमि में वादी के एक बटटा दो हिस्से खातेदारी की भूमि को जरिये बंटवाड़ा अलग कर संलग्न नजरी नक्शे में परिशिष्ट 'अ' व परिशिष्ट 'ब' भूमि जिसका रकबा 1.46 हैक्टर भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज की जाकर राजस्व रेकर्ड नक्शे में इसका अलग अंकन करवाया जाकर वादी की अलग बंटी भूमि का अलग लगान मुकर्रर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किये जाने की ईष्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मनस वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 से 9 व 01 को बावजूद तामिली सूचना बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 25.05.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता मय प्रतिवादी संख्या 02 दिनांक 25.05.2022 को उपस्थित हुए, जबाब दावा मय काउन्टर वाद प्रस्तुत कर वाद गलत तथ्यों के आधार पर होना बताया है। वादस्थ भूमि मौके पर बटी हुई नही है। सभी खातेदारान का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने पडौसभी गलत दर्ज किए हे। वादी द्वारा मौके की कृषि भूमि हडप करने की नियम से वाद पेश किया है। वादी स्वयं लाठी लकडी के बल पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। वादी कतई प्रतिवादी प्रतिवादी संख्या 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है। वादी का वादी कोर्ट फीस के अभाव में खारिज योग्य है।

काउण्टर वादी पेश कर निवेदन किया कि वादस्थ भूमि खसरा नम्बर 104, 105, 137, 138, रकबा कुल 2.9200 हैक्टर भूमि मूझ प्रतिवादी व अन्य खातेदारों की आई हुई स्थित है। जिसमें मुझ प्रतिवादी चम्पालाल का 1/21 आता है। उक्त भूमि का कभी भी

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

बटवाडा नही हुआ। जिससे धोरा पाली को लेकर विवाद होता रहता है। वादी मिठालाल मुझप्रतिवादी को लाठी लकडी के बल पर बेदखल कर उक्त कृषि भूमि मे मुझ प्रतिवादी का 1/21 हक हिस्से को हडपना चाहता है। इसलिए वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। बिनायदावा मुझ प्रतिवादी को सम्मन प्राप्त होनेसे उत्पन्न हुआ। इस प्रकार का0वाद पेश कर सरहद मौजा बासनी तिलवाडया के खसरा नम्बर 104, 105, 137, 138 रकबा कुल 2.9200 हैक्टर की कृषि भूमि प्रतिवादी के 1/21 हक हिस्से की भूमि का बाईमिट्स एण्ड बाउण्डरा बंटवाडा किये जाने व कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से वादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है।

दिनांक 25.05.2022 को उभय पक्ष विभाजन हेतु सहमत होने से प्रा0 डिक्री जारी कर सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाडियान तहसील सोजत में खसरा नंबर 104, 105, 137, 138 कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.9200 है0 की भूमि का पक्षकारानो में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डरा बंटवाडा कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा भिजवाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर तहरीर पत्रांक/कोर्ट/2022/730 दिनांक 08.07.2022 द्वारा लिखा जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा चाहा गया। तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2022/3082 दिनांक 12.12.2022 द्वारा आरटी0 एक्ट एवं आर0टी0 (राज) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रेषित किये, सा0मि0 है।

अधिवक्ता मय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 उपस्थित हुए। प्रस्तुत आर0टी0एक्ट0 एवं आर0टी0 नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया। उपस्थित उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में की गई स्वीकारोक्ति/सहमति अनुसार तथा उभयपक्षों के अधिवक्तागण की दौराने बहस स्वीकारोक्ति की है। जिससे वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग-अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग-अलग से निर्धारण किये जाने को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

-: आदेश :-

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाड़ियान तहसील सोजत में खसरा नंबर 104, 105, 137, 138 कुल खसरा 04 कुल रकबा 2.9200 है0 की भूमि खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है -

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1	मीठालाल पुत्र विरदाराम जाति माली सा0 देह खातेदार	105	0.4500	मेहन्दी	10.80 रू
		104/1	0.0350	मेहन्दी	0.84 रू
		137	0.9750	मेहन्दी	23.40 रू
	योगः-	03	1.4600	मेहन्दी	35.04 रू
2	कानाराम पुत्र विरदाराम हि0 1/3 ,चम्पालाल पुत्र हीरालाल हि0 2/21, तारा पुत्री हीरालाल हि0 2/21, मदनलाल पुत्र हीरालाल हि0 2/21, मैना पुत्री हीरालाल हि0 2/21, रतनलाल पुत्र हीरालाल हि0 2/21,	104	0.4850	मेहन्दी	11.64 रू
		137/1	0.0450	मेहन्दी	1.08 रू
		138	0.9300	मेहन्दी	22.32 रू

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

	लीला पुत्री हीरालाल हि0 2/21, सुरेष पुत्र हीरालाल हि0 2/21, कौम माली सा0 सोजत खातेदार।				
	योग–	03	1.4600	मेहन्दी	35.04 रू

उभय पक्षो को एक दुससे के हक हिस्से के कब्जे काश्त दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुतिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जागिड़)
उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 11/09/2023 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जागिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली